

# OFFICE OF RETURNING OFFICER (S.D.M.) DHARIYAWAD (RAJ.)

Conduct of Elections Rules, 1961  
(Statuary Rules and Order)

FORM 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

## Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of **Rajasthan** State from **157 - Dhariyawad** (S.T.) Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that -

Sh. **Gotam Lal**, Residence :- Mataveli, Lasadiya, Tehsil- Lasadiya, District- Udaipur who is Candidate of Bharatiya Janata Party has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place:-Pratapgarh

Date :-11.12.2018



*Ram chandra Khatik*

(Ram chandra Khatik)  
Returning Officer

Constituency 157 (ST) Dhariyawad  
(SDO & SDM Dhariyawad)

रिटर्निंग ऑफिसर  
157 धरियावद (अ.ज.जा.)  
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र  
(उपरखण्ड अधिकारी) धरियावद

# कार्यालय रिटर्निंग अधिकारी (एस.डी.एम.) धरियावद

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप 21 (ग)

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

157-धरियावद (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से राजस्थान राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि -

श्री गोतम लाल, निवासी- मातावेली, लसाडिया, तहसील- लसाडिया, जिला-उदयपुर जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किये गए उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निवार्यित हो गए हैं।



स्थान : प्रतापगढ़

तारीख : 11.12.2018

(रामचन्द्र खटीक)

रिटर्निंग अधिकारी

विधानसभा क्षेत्र 157 (अ.ज.जा.) धरियावद  
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट,

रिटर्निंग अधिकारी  
157 धरियावद (अ.ज.जा.)  
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र  
(उपखण्ड अधिकारी) धरियावद